

आदेश

प्रारक्ष अवर निरीक्षक(प्रशिक्षण) की कोटि से प्रारक्ष पुलिस निरीक्षक (प्रशिक्षण) की कोटि में प्रोन्नति हेतु दि०-16.06.14 एवं वाद की तिथियों में आयोजित महानिदेशक पर्वद की बैठक में प्रोन्नति हेतु योग्य पाये गये निम्नांकित प्रारक्ष अवर निरीक्षक (प्रशिक्षण) को प्रारक्ष पुलिस निरीक्षक (प्रशिक्षण) की कोटि में प्रोन्नति प्रदान करते हुए कंडिका-6 में अंकित जिला/इकाई में तत्कालिक प्रभाव से पदस्थापित किया जाता है। प्रोन्नत पद का आर्थिक लाभ योगदान की तिथि से देय होगा :-

क्र०	वरीयता क्रमांक	प्रा०अ०नि०(प्रशि०) का नाम/कोटि/ गृह जिला/ जन्म तिथि	वर्तमान पदस्थापन	प्रोन्नति की तिथि	प्रोन्नति के उपरान्त नव पदस्थापन.
1	2	3	4	5	6
1	201	छठू सिंह सामान्य/भोजपुर/05.12.59	दरभंगा	18.02.13	पटना
2	251	बीर बहादुर सिंह सामान्य/सारण/10.08.55	विशेष शाखा	18.02.14	वैशाली
3	291	राम बदन पासवान अनु०जाति/खगड़िया/04.01.71	पटना	18.02.14	भागलपुर
4	293	राज कुमार दूबे सामान्य/मधुबनी/12.12.55	बांका	18.02.14	दरभंगा
5	301	शशिकान्त पाण्डेय सामान्य/भोजपुर/20.05.55	भोजपुर	18.02.14	पटना
6	308	चन्द्रशेखर सिंह सामान्य/सारण/01.01.55	सारण	18.02.14	गोपालगंज
7	311	हरिहर प्रसाद/गोपालगंज/05.01.55	गोपालगंज	18.02.14	सारण
8	318	लाल बिहारी महतो सामान्य/बेतिया/21.11.54	पटना	18.02.14	सारण
9	321	वीरेन्द्र कुमार राय सामान्य/सारण/14.06.55	सारण	18.02.14	सिवान
10	322	दशरथ प्रसाद साह सामान्य/नवगछिया/02.01.56	सारण	18.02.14	भागलपुर
11	327	नसरुल्लाह खॉ सामान्य/गाजीपुर (यू०पी०)/16.10.55	बक्सर	तत्काल प्रभाव से	भोजपुर

यह प्रोन्नति निम्नांकित शर्तों के अधीन दी जाती है :-

- नव प्रोन्नत प्रारक्ष पुलिस निरीक्षक (प्रशिक्षण) के विरुद्ध यदि कोई विभागीय कार्यवाही लंबित हो, निलंबन हो अथवा सजा के प्रभाव में हो या उनके विरुद्ध फौजदारी/आपराधिक मामला विचाराधीन हो तो उस स्थिति में यह प्रोन्नति देय नहीं होगी। ऐसे मामलों में प्रक्षेत्रादेश/क्षेत्रादेश/जिलादेश रोककर पुलिस मुख्यालय को सूचित किया जायेगा।
- यदि नव प्रोन्नत प्रारक्ष पुलिस निरीक्षक (प्रशिक्षण) के सेवा अभिलेख में कोई त्रुटि पायी जायेगी तो आदेश को तदनुसार संशोधित/रद्द किया जायेगा।
- यदि किसी वरीय प्रारक्ष अवर निरीक्षक (प्रशिक्षण) का मामला नव प्रोन्नत प्रारक्ष पुलिस निरीक्षक (प्रशिक्षण) की कोटि में प्रोन्नति हेतु प्रकाश में आता है तो उस स्थिति में इस प्रोन्नत्यादेश में आवश्यक संशोधन किया जायेगा तथा रिक्ति के अनुसार कनीय को प्रारक्ष अवर निरीक्षक (प्रशिक्षण) के पद पर प्रत्यावर्तन किया जा सकता है।
- मनोनयन प्राप्ति के बाद नव प्रोन्नत प्रारक्ष पुलिस निरीक्षक (प्रशिक्षण) का स्थानान्तरण अन्यत्र हो गया हो तो प्रोन्नत पदाधिकारी का जिलादेश/क्षेत्रादेश/प्रक्षेत्रादेश उनके वर्तमान पदस्थापन से जिलादेश/क्षेत्रादेश/प्रक्षेत्रादेश निर्गत होगा।

5. यह प्रोन्नति आदेश गृह(आ0) विभाग के पत्रांक-357, दि0-23.01.14 द्वारा किए गए रोस्टर क्लियरेंस के आलोक में दी गई है।
6. पदस्थापित स्थान पर रिक्ति नही होने की स्थिति में क्षेत्रीय स्तर पर समकक्ष पद के विरुद्ध भी इनके सामंजन के संबंध में क्षेत्रीय पुलिस उप-महानिरीक्षक यथोचित कार्रवाई करेंगे।

पुलिस महानिदेशक के आदेशानुसार

M
10/7/14
पुलिस महानिरीक्षक (मुख्यालय),
बिहार, पटना।

ज्ञापांक.....1611...../पी-1
9-1-1-14

पुलिस महानिदेशक को कार्यालय, बिहार, पटना।
पटना, दिनांक.....10/7/14

प्रतिलिपि:-

संबंधित अपर पुलिस महानिदेशक/संबंधित पुलिस महानिरीक्षक/संबंधित पुलिस उप-महानिरीक्षक/संबंधित पुलिस अधीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कियार्थ।

M
10/7/14
पुलिस महानिरीक्षक (मुख्यालय),
बिहार, पटना।